



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जुलाई 2015—श्रावण 6, शक 1937

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जुलाई, 2015

क्र. 617-338-सीसी-14-अड़तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2007 (क्रमांक 17 सन् 2007) की धारा 36 की उपधारा (1), (3), (4) एवं (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग का पुनर्गठन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण, दिनांक 6 मई 2015 द्वारा जारी अधिसूचना के तहत किया गया था, उक्त अधिसूचना को पुनर्गठित करते हुए निम्नांकित व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है:—

1. अंशकालिक सदस्य—प्रो. व्ही. पी. सिंह के स्थान पर श्री गोकुल प्रसाद पटवा, C/o श्री बी. पी. दीप, 17/628, सरस्वती नगर, जवाहर चौक, भोपाल.
2. पूर्णकालिक सचिव—श्री सुरेश गुप्ता के स्थान पर डॉ. आभा स्वरूप, कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर, नेहरू नगर, भोपाल.

No. R 617-338-CC-14-XXXVIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (3), (4) and (8) of Section 36 of Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapna Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), the State Government, hereby reconstitutes Private University Regulatory Commission consisting of the Following namely:—

1. **Member—Part Time**—Shri Gokul Prasad Patwa, C/o Shri B. P. Deep, 17/628, Saraswati Nagar, Jawahar Chowk, Bhopal in place of Dr. V. P. Singh.
2. **Secretary—Full Time**—Dr. Abha Swarup, Project Director, Madhya Pradesh Council of Science & Technology, Vigyan Bhavan, Nehru Nagar, Bhopal in place of Shri Suresh Gupta.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. विजय, उपसचिव.